

17/25

July

पत्रावली ज्यार्ली बंसीघर जरिये अधिवक्ता
 के मिलल तलबी आवेडन पर आज पेश
 दुई करण मे ज्यार्ली बंसीघर न मूल डाका
 को गोटपत्र के आधार पर खारिज करण
 लिया है अतः ज्यार्ली के आर्षनापत्र 212R/18
 का कोई अर्थित्य नही है । अतः इसी
 स्तर पर ज्यार्ली का आर्षनापत्र 212R/18
 खारिज किया जाता है पत्रावली फेलस
 सुमार दोर नम्बर से कम होर दाखिल

दफ्तर ली

(Signature)
 अपतण्ड अधिवक्ता संततमन